# जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
# Jananayak Chandrashekhar University, Ballia


पत्रांक–जे0एन0सी0यू0 / सम्बद्धता / 11 / 2020 दिनांकः 16 जुलाई, 2020

**सम्बद्धता आदेश**

उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांकः 16 जुलाई, 2020 के अनुपालन **में राधामोहन किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, नियामतपुर, कांसो, बलिया को स्नातकोत्तर स्तर पर शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषय** स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2020–21 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती हैः–

1. महाविद्यालय का अग्निशमन विभाग का अध्यावधिक प्रमाणपत्र 01 माह में उपलब्ध कराने की शर्त के साथ स्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है।
2. महाविद्यालय / संस्था की बैलेन्स शीट प्रत्येक वर्ष में जुलाई के प्रथम सप्ताह में तथा इस वर्ष दिनांकः 16 अगस्त, 2020 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
3. प्रत्येक महाविद्यालय अपने निकटवर्ती एक गांव को गोद (एडाप्ट) लेगा तथा उसके विकास के लिए उत्तरदायी होगा।
4. महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकगण / शिक्षणेत्तर कर्मियों का सी0पी0एफ0 / ई0पी0एफ0 खाता खुलवाकर निर्धारित मात्रा में अंशदान कराना सुनिश्चित करें।
5. उक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त महाविद्यालय को स्थायी सम्बद्धता के औपचारिक आदेश निर्गत किये जायेंगे, अन्यथा की स्थिति में यह आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. संस्था / महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851 / सत्तर–2–2003–15(92) / 2002, दिनांकः 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेश का पालन करेंगी।
7. संस्था / महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
8. संस्था / महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम / परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
9. संस्था / महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों / सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
10. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित / कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
11. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–61859 / 2012 में पारित आदेश दिनांकः 20.12. 2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन / नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत

शासनादेश संख्या–522 / सत्तर–2–2013–2(650) / 2012 दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

12. संस्था / महाविद्यालय द्वारा प्रवेश परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमवाली / अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
13. संस्था / महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या–421 / सत्तर–1–2015–16(20) / 2011, दिनांकः 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
14. संस्था / महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(महेश कुमार)
उप कुलसचिव (सम्बद्धता)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. मा0 कुलपति जी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. **प्रबन्धक राधामोहन किसान मजदूर पी0जी0 कालेज, नियामतपुर, कांसो, बलिया।**
4. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
6. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग इन पर अपलोड कराये जाने हेतु।

उप कुलसचिव (सम्बद्धता)